

अमृत विभाग

प्रारूप - 1 (नियम 12 देखें)

असंगठित कर्मकार के पंजीयन हेतु आवेदन



असंगठित कर्मकार का नाम	:-
पिता/पति का नाम	:-
जन्मतिथि	:-
आयु	:-
आधार कार्ड क्रमांक/दिनांक	:-
बी.पी.एल. कार्ड क्र./दिनांक	:-
राशन कार्ड नं./दिनांक	:-
व्यवसाय/कार्य का स्वरूप	:-
वर्तमान पता	:- मकान नं. वार्ड नं. मोहल्ला ग्राम/शहर..... विकासखंड तहसील
स्थाई पता	:- मकान नं. वार्ड नं. मोहल्ला ग्राम/शहर..... विकासखंड तहसील
जिला
फोन/मोबाइल	:-
आश्रित :-	(क) पिता :-
	(ख) माता :-
	(ग) आश्रित बच्चे :-
	(घ) अन्य :-

घोषणा-पत्र

एतद् द्वारा घोषण करता/करती हूँ कि मेरी आयु 14 वर्ष से कम नहीं है तथा मैं एक असंगठित कर्मकार हूँ। मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त समस्त जानकारी एवं विवरण पूर्णतः सत्य है

दिनांक.....

आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

विशेष जानकारी

पंजीयन हेतु पात्रता :-

1. प्रत्येक असंगठित कर्मकार निम्नांकित शर्तों का पालन करने पर पंजीयन हेतु पात्र होगा:-
 - (अ) जिसकी आयु 14 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो,
 - (ब) असंगठित कर्मकार द्वारा असंगठित कर्मकार होने संबंधी स्व-घोषणा-पत्र,
2. **प्राधिकारी :-** जिला प्रशासन द्वारा अधिकृत व्यक्ति असंगठित कर्मकार के पंजीयन के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा जिसके द्वारा असंगठित कर्मकारों का पंजीयन प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा।
3. **आवेदन कर्त्ता करें :-** प्रत्येक असंगठित कर्मकार निर्धारित प्रपत्र में जिला कलेक्टर कार्यालय एवं कलेक्टर द्वारा अधिकृत कार्यालयों में पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत करें।
4. **असंगठित कर्मकार से तात्पर्य :-** छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2010 के अनुसार निम्नांकित प्रकार के रोजगार में लगे हुए लोगों असंगठित कर्मकार की सूची में अधिसूचित किया गया है :-
 - 1.धोबी, 2.दर्जी, 3.माली, 4.मोची, 5.नाई, 6.बुनकर, 7.रिक्शा चालक, 8.घरेलु कामगार, 9.कचरा बीनने वाले, 10.हाथ ठेला चलाने वाले, 11.फुटकर सब्जी, फल-फुल विक्रेता, 12.चाय, चाट, ठेला लगाने वाले, 13. फुटपाथ व्यापारी, 14.हमाल, कुली रेजा, 15.जनरेटर/लाईट उठाने वाले, 16.केटरिंग में कार्य करने वाले, 17. फेरी लगाने वाले, 18.मोटर सायकल/ सायकल मरम्मत करने वाले, 19.गैरेज मजदूर, 20.परिवहन में लगे मजदूर, 21.आटो चालक, 22. सफाई कामगार, 23.ढोल /बाजा बजाने वाले, 24. टेन्ट हाउस में काम करने वाले 25. वनोपज में लगे मजदूर, 26.मछुआरा, 27. दाई का काम करने वाली, 28.तांगा/बैल गाड़ी चलाने वाले, 29.तेल पेरने वाले, 30.अगरबत्ती बनाने वाले, 31.गाड़ीवान, 32.घरेलु उद्योग में लगे मजदूर, 33.भड़भूजे (मुर्गा चना फोड़ने वाले), 34.पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी, बतख पालन में लगे मजदूर, एवं करने वाले, 35. दुकानों में काम करने वाले मजदूर, 36.खेतीहर मजदूर, 37.राऊत, चरवाहा, दूध दुहने वाले, 38.मितानीन, 39. नाव चलाने वाले (नाविक), 40. कंसारी ।